तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
5/3/2026	वुकलाय उपस्थित अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब मय दस्तावेजात पेश किये सा.मि. है। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 वुकलाय सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा सियार तहसील खोलत में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 598 रकबा 0.3300 हैक्टर की बारानी अव्वल भूमि स्थित है। इसी प्रकार मौजा सियार में खसरा नम्बर 627 रकबा 0.3500 हैक्टर बारानी अव्वल की भूमि भी स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त व सहखातेदारी व कब्जे काश्त की है। उक्त वर्णित भूमि में से खसरा नम्बर 598 रकबा 0.3300 हैक्टर की भूमि उभय पक्ष की संयुक्त व सामलाती संयुक्त कब्जे काश्त की स्थित है जिसका बंटवारा राजस्व रेकार्ड में विधिक रूप से उभय पक्षों में नहीं हुआ है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी की अविभाजित उक्त कृषि भूमि में संयुक्त 1/14 हिस्सा निहित है अर्थात प्रार्थी का सम्पूर्ण भूमि में 1/14 का 1/5 हिस्सा निहित है। किन्तु विधिक रूप से बंटवारा नहीं होने से समस्त खातेदारान/ हिस्सेदारान संयुक्त रूप से उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थी उक्त खसरा नम्बर 598 व ख.न. 627 की भूमि का बाई मेट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करने का अधिकारी है। दिनांक 30/8/2018 को विवादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 453 की भूमि पर मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा तोड़फोड़ निर्माण करने पर मना किया तो नहीं माने। इस प्रकार यदि अप्रार्थी द्वारा उक्त अविभाजित कृषि भूमि की खातेदारी आराजी पर अवैध रूप से निर्माण कर दिया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में होने से, अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है, इस प्रकार प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर मौजा सियार में स्थित प्रार्थी की संयुक्त व सहखातेदारी कब्जे काश्त की अविभाजित ख.न. 598 रकबा 0.3300 है. की भूमि के किसी विशिष्ट भाग पर निर्माण/उपयोग उपभोग करने से अप्रार्थीगण को रोका जाकर तथा बेचान रहन अन्य हस्तान्तरण आदि करने से भी रोका जाकर पाबन्द किये जाने की इस्तदुआ की है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात तथा अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजात एवं

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

फोटोग्राफ्स आदि का सामान्यतः अवलोकन किया गया तथा बहस वकलाय पर गौर कर मनन किया गया परन्तुः अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मय अपंजीकृत बटवारा की फोटो प्रति का भी अध्ययन कर बहस अधिवक्ता अप्रार्थी पर भी मनन किया गया। प्रार्थी की सहखातेदारी एवं संयुक्त अविभाजित कृषि भूमि खसरा नम्बर 598 के किसी विशिष्ट भू० भाग पर अनाधिकृत निर्माण/उपयोग, उपभोग आदि करने से अप्रार्थीगण को (प्रार्थी पक्ष के सम्बद्ध होने उक्त किन्तु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होने से) वाद निर्णय तक रोका जाकर अर्थात मौका की यथास्थिति (STOTUS-QUO) को बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाना उचित समझते है।

-:: आदेश ::-

अतः प्रार्थी निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती है कि स्थित मौजा सियार तहसील सोजत में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 598 रकबा 01.3300 हैक्टर बा० सं० भूमि की प्रार्थी की संयुक्त एवं सहखातेदारी व कब्जे काश्त की अविभाजित आराजी के किसी विशिष्ट भू० भाग पर अन्य कोई निर्माण उपयोग, उपभोग करने से अप्रार्थीगण को रोका जाकर अर्थात मौके की यथास्थिति (STOTUS QUO) बनाये रखने हेतु वाद निर्णय तक पाबन्द किया जाता है। पत्रावली केवल कुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(दौलतराम चौधरी)
उप खण्ड अधिकारी सोजत

निर्णय आज दिनांक 5-3-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उप खण्ड अधिकारी सोजत